तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार–2018'' पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 अन्तर्गत कैम्प [illegible] प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण [illegible] उपस्थित नहीं, [illegible] उपस्थित [illegible] [illegible] प्रस्तुत राजस्व [illegible] का अवलोकन किया। [illegible] 6/18 [illegible] का अवलोकन किया [illegible] खसरा नं. 1015 रकबा 0.22 है [illegible] अतः उक्त [illegible] खसरा नं. 941 रकबा 0.50 है, 942 रकबा 0.76 है [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] निर्देश [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री के० आर० यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 34 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

मंगलाल पुत्र रेवीपुरी/लादू जाति ...

निवासी ...

– प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

...

निवासी ...

– विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– ...

...

निर्णय दिनांक 6/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम ... तहसील शाहपुरा/ ... जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर ... 951 रकबा 0.50, 952 रकबा 0.76, 1015 रकबा 0.22 ... कुल किता 3 ... रकबा 1.48 ... हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

2 प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ... उपस्थित ... । हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ... संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ... मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 1.26 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ... मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(हाशिये में हस्तलिखित: सिवाय ख.नं. 1015 रकबा 0.22 है. के प्रकरण विचाराधीन होने के)

निर्णय आज दिनांक 6/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

के० आर० यादव

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा/ ... पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner